न्यायालय राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 669/एक/2006 – विरूद्ध आदेश दिनांक 13–3–2006 –पारित व्दारा – आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना – प्रकरण क्रमांक 97/2003–04 अपील

1– सुघर सिंह 2– बिनोद सिंह
3– अशोकसिंह पुत्रगण जलधारी
निवासीगण ग्राम सकराया
तहसील अटेर जिला भिण्ड ---आवेदक

विरूद्ध

1– मिश्रीलाल पुत्र बद्रीप्रसाद
(मृतक वारिस)
1. मंशाराम 2. रामसनेही
पुत्रगण स्व.मिश्रीलाल
सभी ग्राम सकराया तहसील अटेर
जिला भिण्ड मध्य प्रदेश ---अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री एस0के0अवस्थी)
(अनावेदकगण के अभिभाषक श्री रामसेवक शर्मा)

आ दे श

(आज दिनांक \8 – \ – 2016 को पारित)

यह निगरानी मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त,चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 97/03–04 अपील में पारित आदेश 13–3–06 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदकगण ने नायव तहसीलदार सुरपुरा को आवेदन देकर बताया कि वह ग्राम रमा की भूमि सर्वे नंबर 1967, 1968, 1972 कुल किता 3 कुल रकबा

1.15 हैक्टर पर 20-25 वर्षो से खेती करते आ रहे हैं क्योंकि यह भूमि मिश्रीलाल पुत्र बद्रीप्रसाद कुम्हार ने जुताई थी तभी लगान दी जा रही है अब उन्हें अधिपति कृषक होने से भूमि उनके नाम की जावे। नायव तहसीलदार सुरपुरा ने प्रकरण क्रमांक 7/99-2000 अ-6-अ दर्ज किया तथा आदेश दिनांक 16-5-01 से उन्हें भूमिस्वामी स्वत्व प्रदान किये। इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी अटेर के समक्ष अपील होने पर प्रकरण क्रमांक 3/03-04 में पारित आदेश दिनांक 29-1-04 से अपील अवधि-वाह्य मानकर निरस्त कर दी गई। इस आदेश के विरूद्ध आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के यहां अपील होने पर प्रकरण क्रमांक 97/03-04 अपील में पारित आदेश 13-3-06 से दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये गये। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत हुई है।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्थिति यह है कि आवेदकगण ने नायव तहसीलदार सुरपुरा को ग्राम रमा स्थित भूमि सर्वे नंबर 1967, 1968, 1973 कुल किता तीन कुल रकबा 1.15 पर 20-25 वर्षो से खेती करते आना बताते हुये मिश्रीलाल पुत्र बद्रीप्रसाद कुम्हार व्दारा भूमि जुताने के आधार पर भूमि उनके नाम करने की मांग की थी अर्थात मामला मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 169 सहपठित 190 के अंतर्गत विचारित होना था, जबकि आवेदकगण ने मूल दावा म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 115 , 116 के अंतर्गत प्रस्तुत किया है। इस प्रकार नायव तहसीलदार को मामला मात्र इन्हीं धाराओं के अधीन विचारित करना था, जबकि उन्होंने संहिता की धारा 169 सहपठित 190 के अंतर्गत आदेश पारित किया है। विचार योग्य बिन्दु है कि क्या नायव तहसीलदार संहिता धारा 169 सहपठित 190 के अंतर्गत किसी भूमिस्वामी की भूमि पर किसी अन्य कृषक को अधिपति घोषित

कर भूमिस्वामी स्वत्व प्रदान करने हेतु सक्षम हैं ? (पंजाबसिंह तथा अन्य विरूद्ध ओछाबाबू तथा अन्य 1992 रा.नि. 266 उच्च न्यायालय डी0बी0) के न्यायिक दृष्टांत हैं कि (1) भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0) – धारा 169, 190 – प्रतिकूल कब्जे व्दारा हक का अर्जन – राजस्व न्यायालय ऐसे प्रश्न का विनिश्चय करने हेतु अधिकारिता नहीं रखते । (2) भू राजस्व संहिता,1959 (म0प्र0) – धारा 169, 190 – प्रतिकूल कब्जे व्दारा भूमिस्वामी अधिकारों का अर्जन – ऐसे प्रश्न का न्याय निर्णय करने हेतु संहिता के अधीन कोई उपबंध नहीं है – राजस्व न्यायालय को ऐसे प्रश्न का विनिश्चय करने की अधिकारिता नहीं है 1080 रा0नि0 516 (उच्च न्यायालय पूर्णपीठ) प्रभेदित । स्पष्ट है कि विचाराधीन प्रकरण में नायव तहसीलदार सुरपुरा व्दारा पारित आदेश दिनांक 16–5–01 अधिकारिता विहीन है जिस पर गौर न करते हुये अनुविभागीय अधिकारी अटेर ने आदेश दिनांक 29–1–04 से अपील समयवाह्य मानकर निरस्त करने की त्रृटि की थी, जिसके कारण विद्वान आयुक्त, चंबल संभाग मुरैना ने प्रकरण क्रमांक 97/03–04 अपील में पारित आदेश 13–3–06 से दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों को निरस्त किये है, जिसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एंव आयुक्त, चंबल संभाग मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 97/03–04 अपील में पारित आदेश 13–3–06 विधिवत् होना पाये जाने से यथावत् रखा जाता हैं।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर